

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

—आदेश—

का०आ० यो०स्था० 07/01-01/2025(पार्ट) - 2547/यो०वि०, पटना, दिनांक 13 मई, 2025

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस०एल०पी० (सी०) संख्या-7257/2023 शशि भूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक-04.10.2024 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-03/परी०-BTSC-(अधि०) 01-23/2024-16 दिनांक-01.01.2025 द्वारा विज्ञापन सं० 01/2019 के अन्तर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा एवं दिनांक 07.05.2025 को प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु उपस्थिति के आलोक में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर-07 एवं समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है :-

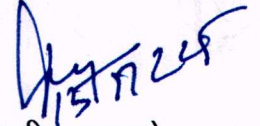
क्र० सं०	विभागीय क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम/ स्थायी पता	पंजीयन सं०	समेकित मेघा क्रमांक	जन्म तिथि	अनुशंसित कोटि/ आवेदन की कोटि	नियुक्त अभ्यर्थी का फोटोग्राफ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	64	श्री राज कुमार	श्री अभय कुमार पटेल / ग्राम+पो०-बलुआ थाना-मनेर जिला-पटना पिन-801113 बिहार	BR001500 10055512	583	19.01.1977	UR/BC	
2	106	श्री रविन्द्र कुमार	श्री सुरेन्द्र सिंह / ग्राम-खरुआरा पो०-चेरो थाना-चेरो जिला-नालंदा पिन-803110 बिहार	BR001500 10074391	995	15.01.1978	UR/BC	
3	245	श्री रोशन रंजन	श्री शैलेन्द्र सिंह ग्राम+पो०- बिरजुमिल्की थाना-हरनौत जिला-नालंदा पिन-803110 बिहार	BR001500 10051101	1528	01.12.1971	BC/BC	

Pat *Maul* *2* *3*

क्र० सं०	विभागीय क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम/स्थायी पता	पंजीयन सं०	समेकित मेघा क्रमांक	जन्म तिथि	अनुशंसित कोटि/आवेदन की कोटि	नियुक्त अभ्यर्थी का फोटोग्राफ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	1202	सुश्री/श्रीमती सोम्या श्रुष्टि	श्री अजय कुमार चौधरी ग्राम-नरार थान टोल पो०-नरार थाना-कलुआही प्रखंड-खजौली वार्ड नं०-12 जिला-मधुबनी पिन-847226 बिहार	BR001500 10058126	7772	10.02.1998	UR/UR	

- यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ-पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही हैं। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
- यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के समर्पित शपथ-पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है, कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।
- यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जा रही है। यदि भविष्य में किसी भी अभ्यर्थी (नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि/पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओं नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।
- वैसे अभ्यर्थी जो पहले से सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों/निकायों में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान के समय नियुक्ता संस्थान के समक्ष प्राधिकार से निर्गत विरमण-पत्र स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में निम्न शर्तें अधिरोपित होंगे :-
 - बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा नियोजित कनीय अभियंता नियमित सरकारी सेवक नहीं हैं। अतः आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु उनकी अनुशंसा के क्रम में संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है। नियमित नियुक्ति के उपरान्त ऐसे संविदा नियोजित कनीय अभियंता संविदा नियोजन से त्याग पत्र समर्पित करने के अगले दिन ही नियमित नियुक्ति के फलस्वरूप योगदान करेंगे।
 - बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा नियोजित वैसे कनीय अभियंताओं जिनका आयोग द्वारा चयन के क्रम में संविदा अवधि में किये गये कार्यानुभव के लिए अंक की अधिमानता तथा अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ प्रदत्त की गयी होगी, को उनके पदस्थापित प्रमंडल में योगदान के समय उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच कर संतुष्ट होना सुनिश्चित करेंगे। कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि/पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओं नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।
 - जिन संविदा नियोजित कर्मियों के विरुद्ध सम्प्रति अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, उनके मामले में प्रशासी विभाग द्वारा प्रत्येक मामले को गुणा-गुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

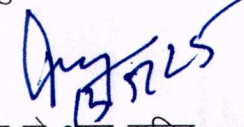
- (iv) संविदा अवधि में की गयी सेवा का किसी प्रकार का कोई लाभ नियमित नियुक्ति के उपरान्त अनुमान्य नहीं होगा।
7. बिहार पेंशन (संसोधन) नियमावली 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक- 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
 8. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 9. सभी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापन के उपरान्त नव पदस्थापन कार्यालयों में योगदान की तिथि से देय होगा।
 10. नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के वेतनादि का भुगतान संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापनोपरांत किया जायेगा।
 11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली/माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विज्ञापन सं0 01/2019 (कनीय अभियंता) के विरुद्ध दायर विभिन्न वादों में पारित होने वाले अंतिम न्याय निर्णय के फलाफल से यह नियुक्ति प्रभावित होगी।
 12. भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा पार्थक्यता पाये जाने पर इसे तदनुसार संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा।



(रणजीत कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था07/01-01/2025(पार्ट) - 2547 / यो0वि0, पटना, दिनांक 13 मई, 2025
प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/अधीक्षक/राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-07 को भेजने हेतु प्रेषित।



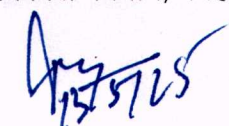
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था07/01-01/2025(पार्ट) - 2547 / यो0वि0, पटना, दिनांक 13 मई, 2025
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0), विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित



सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था07/01-01/2025(पार्ट) - 2547 / यो0वि0, पटना, दिनांक 13 अप्रैल, 2025
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार/सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार/सभी संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित



सरकार के अपर सचिव



ज्ञापांक: यो0स्था07 / 01-01 / 2025(पार्ट) - 2547 / यो0वि0, पटना, दिनांक 13 मई, 2025
प्रतिलिपि: सभी संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

[Handwritten signature]

ज्ञापांक: यो0स्था07 / 01-01 / 2025(पार्ट) - 2547 / यो0वि0, पटना, दिनांक 13 मई, 2025
प्रतिलिपि: विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित

[Handwritten signature]

सरकार के अपर सचिव

For Mail
[Handwritten signature]

2025

2025

2025